

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON WEDNESDAY, THE 17TH MARCH, 2021 AT 10.00 A.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. MOTION UNDER RULE 121.

A MINISTER

to move that the provisions of Rules 231, 233, 235 and 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :-

- i) Committee on Public Accounts;
- ii) Committee on Estimates;
- iii) Committee on Public Undertakings; and
- iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes, for the year 2021-2022 be suspended.

ALSO to move:-

“that this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2021-2022, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House”.

III. LEGISLATIVE BUSINESS.

(Bills to be introduced)

- | | | |
|--|------------|--|
| 1. The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 2021 | A MINISTER | to move for leave to introduce the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill;

Also to introduce the Bill. |
| 2. The Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 2021 | A MINISTER | to move for leave to introduce the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill;

Also to introduce the Bill. |
| 3. The Sports University of Haryana Bill, 2021 | A MINISTER | to move for leave to introduce the Sports University of Haryana Bill;

Also to introduce the Bill. |

**CHANDIGARH:
THE 16TH MARCH, 2021.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 17 मार्च, 2021 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :-

- i) लोक लेखा समिति ;
- ii) प्राक्कलन समिति ;
- iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा
- iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2021-2022 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी:- प्रस्ताव करेंगे "कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/गुप्तों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें"।

III. विधान कार्य

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 एक मंत्री पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;
विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
2. हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 एक मंत्री हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;
विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
3. हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 एक मंत्री हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;
विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

चण्डीगढ़:
16 मार्च, 2021.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।